



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2121]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर, 11, 2010/आश्विन 19, 1932

No. 2121]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2010/ASVINA 19, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2010

का.आ. 2516(अ).—विनाशक कीट और नाशी जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति संगरोध (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 2003 में पुनः संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) आदेश, 2010 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. अनुसूची VI का संशोधन.—वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में—

(1) कालम (3) में क्रम सं. 241 के सामने मद (1) तथा कालम (4), (5) और (6) में उसकी मद में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के बाद क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

(3)	(4)	(5)	(6)
“(ii) उपभोग के लिए संपुष्ट चावल का छिलका	(i) चीन	निम्नलिखित से मुक्त:— (क) ट्रोगोडर्मा वरिएबल (अनाज का आंतरिक छिलका) (ख) टाइफिया स्टेरकोरिया (रोएंदार फफूंद बीटल) (ग) मोनोग्राफिला निवालिस (मोटे अनाज का फूट रोट)	एनपीए के अधीन 21° सेंटीग्रेड और अधिक में 32 ग्राम प्रति घनमीटर पर 24 घंटे के लिए मिथाईल ब्रोमाइड से धूमन और उपचार को फिटोसेनिटरी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा।”

[फा. सं. 8-20/2005-पी.पी. 1]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को का.आ. 1322(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात् दिनांक 6 फरवरी, 2004 को का.आ. 167(अ) दिनांक 29 मार्च, 2004,

का.आ. 427(अ), दिनांक 31 मई, 2004, का.आ. 644(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, का.आ. 263 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2005, का.आ. 462(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2006, का.आ. 1121(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2006, का.आ. 1353(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006, का.आ. 1873(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006, का.आ. 2074(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2007, का.आ. 2069(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2007, का.आ. 3(अ), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008, का.आ. 2847(अ), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, का.आ. 2888(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2009, का.आ. 2286(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2009, का.आ. 2390(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009, का.आ. 3269(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009, का.आ. 3298(अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2010, का.आ. 907(अ), दिनांक 27 अगस्त, 2010, का.आ. 2095(अ) एवं दिनांक 15 सितम्बर, 2010, का.आ. 2284(अ) द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2010

**S.O. 2516(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourth Amendment), Order, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of Schedule VI.**—In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,—

against serial number 241, in column (3), after item (i) and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely,—

(3)	(4)	(5)	(6)
“(ii) Fortified rice kernel for consumption	(i) China	Free from : (a) <i>Trogoderma variable</i> (grain dermestid) (b) <i>Typhaea stercorea</i> (hairy fungus beetle) (c) <i>Monographella nivalis</i> (foot rot of cereals)	Fumigation with Methyl Bromide @ 32 gram per cubic meter at 21°C and above for 24 hours under Normal Atmospheric Temperature (NAP) and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate”.

[F. No. 8-20/2005-PP. I]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

**Note:**—The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, *vide*, number S.O. 1322(E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended *vide* number S.O. 167(E), dated 6th February, 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May, 2004, S.O. 263(E), dated 25th February, 2005, S.O. 462(E), dated 31st March, 2005, S.O. 1121(E), dated 14th July, 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July, 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October, 2006, S.O. 2074(E), dated 6th December, 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 31st December, 2007, S.O. 2847(E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286(E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390(E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269(E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907(E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010 and S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010.